फ्रांसीसी राष्ट्रपति की शक्तियाँ तथा कार्य

1958 में निर्मित पंचम गणतंत्र के संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मण्डल की व्यवस्था की गयी थी। इसमें तीन प्रकार के सदस्य शामिल होते थे :

(i) संसद के सदस्य

(ii) समुद्र पार के प्रदेशों के विधानमण्डल, 'जनरल कौंसिल' के सदस्य

(iii) नगरपालिकाओं के प्रतिनिधि

इस प्रकार इस संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव हेतु परोक्ष निर्वाचन की पद्धति अपनायी गयी थी।

संविधान की 7वीं धारा के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव 'द्वितीय मतपत्र प्रणाली' पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत जरूरत पड़ने पर दो बार मतदान होते हैं।

पहली बार हुए मतदान में यदि कोई उम्मीदवार स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लेता है, तो वह निर्वाचित हो जाता है। चुनाव जीत जाता है।

परंतु अगर पहले मतदान में कोई भी उम्मीदवार स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त कर पाता है, तब दूसरी बार मतदान कराया जाता है। इसमें पहली बार हुए मतदान के प्रथम दो उम्मीदवारों में ही चुनाव कराना होता है। जिसे ज्यादा मत प्राप्त होते हैं, उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है।

सन् 1958 में राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए जनरल दि गाल का मानना था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। अतः इस संबंध में जनमत संग्रह कराया गया और 6 नवंबर 1962 को जनता ने इसे स्वीकृति दे दी। इसप्रकार, वर्तमान में फ्रांस का राष्ट्रपति वहाँ के समस्त निर्वाचकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। नई व्यवस्था में भी द्वितीय मतपत्र व्यवस्था को अपनाया गया।

वर्ष 2020 में इमैनुएल मैक्रों फ्रांसीसी राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं।

पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति को अनेक कार्य एवं शक्तियाँ सौंपी गयी है :

✡ <u>कार्यपालिका शक्तियाँ</u>

— राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। वह समस्त कार्यपालिका शक्ति का स्रोत है। वह समस्त अवसरों पर राज्य का प्रतिनिधित्व करता है और वह ही जल, थल तथा वायु सेना का प्रधान है।

— केवल वही प्रधानमंत्री की नियुक्ति तथा मंत्रिमण्डल का निर्माण करने का अधिकार रखता है। वह प्रधानमंत्री को पद से हटाने का भी अधिकार रखता है। प्रायः जनमत को देखते हुए वह ऐसे कार्य करता है।

— संविधान में राष्ट्रपति को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिनका प्रयोग राष्ट्रपति अपने विवेक से करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। उदाहरणार्थ— प्रधानमंत्री की नियुक्ति, संसद भंग करना, संवैधानिक परिषद् का गठन, राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार आदि। संविधान की धारा 19 में इन अधिकारों एवं कार्यों का विस्तृत वर्णन है।

इनके अलावा अन्य प्रकार के कार्यों के लिए राष्ट्रपति को संबंधित मंत्रियों से परामर्श लेना जरूरी होता है।

✡ विधायी शक्तियाँ

पंचम गणतंत्र के संविधान में राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में भी बहुत सी शक्तियाँ प्रदान की गयी है:

— उसे संसद के दोनों सदनों में संदेश भेजने का अधिकार है।

— उसे संसद का विशेष अधिवेशन बुलाने का अधिकार है।

— वह विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। संसद को पुनर्विचार करना आवश्यक हो जाता है।

— राष्ट्रपति कुछ विशेष बिलों से संबंधित विधेयकों को मंत्रिमंडल अथवा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त प्रस्ताव पर जनमत संग्रह के लिए भेज सकता है। 1962 में राष्ट्रपति के चुनाव हेतु परोक्ष निर्वाचन के स्थान पर प्रत्यक्ष निर्वाचन को अपनाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा इसी पद्धति को अपनाया गया था।

— राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा को भंग करने की शक्ति रखता है। केवल दो मामलों में वह ऐसा नहीं कर सकता :

(i) यदि राष्ट्रीय सभा के पुनर्निर्वाचन हुए 1 वर्ष न बीता हो।

(ii) यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद 16 द्वारा प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों के आधार पर कार्य कर रहा हो।

✡ फ्रांसीसी राष्ट्रपति बड़े पदाधिकारियों की नियुक्ति करने के दौरान मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। वह राज्य के कौंसिलरों, ग्रेण्ड चांसलर ऑफ द लीज ऑफ ऑनर, प्रीफेक्टों, समुद्र पार क्षेत्रों में सरकार के प्रतिनिधियों, राजदूतों, विश्वविद्यालय के कुलपतियों आदि पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है।

✡ फ्रांसीसी राष्ट्रपति को वैदेशिक संबंधों के संचालन की भी व्यापक शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति राजदूतों, विशेष दूतों और प्रदूतों की नियुक्तियाँ करता है और विदेश से आए राजदूत भी उसी के नाम से प्रमाण-पत्र लाते हैं। संधियों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के विषय में भी उसका निर्णायकारी प्रभाव रहता है। यद्यपि कुछ संधियों के मामले में संसद द्वारा स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए।

✡ फ्रांसीसी राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। उसे संविधान की व्याख्या का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा, संविधान ने उसे 'न्यायिक स्वतंत्रता का संरक्षक' भी घोषित किया है।

— राष्ट्रपति ही न्यायपालिका की उच्च परिषद 'संवैधानिक परिषद' का सभापतित्व करता है तथा उसके सभी 9 सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति सभी न्यायिक नियुक्तियाँ 'उच्च न्यायिक परिषद' की सलाह के आधार पर करता है।

— राष्ट्रपति को क्षमा करने की जो शक्ति प्राप्त है। इसका प्रयोग वह 'उच्च न्यायिक परिषद' की सलाह से करता है।

✡ संविधान की धारा 16 राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियाँ प्रदान करती है। इसके अनुसार, "यदि गणतंत्र की संस्थाओं को गंभीर और तात्कालिक कारण उत्पन्न हो जाय अथवा राष्ट्र की स्वतंत्रता, देश की अखण्डता या अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की क्रियान्विति खतरे में पड़ जाय और यदि संविधान द्वारा नियुक्त सार्वजनिक अधिकारियों के कार्य संचालन में बाधा पहुँचती हो, तो राष्ट्रपति इन परिस्थितियों के समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही कर सकता है।"

जब संकटकाल की परिस्थिति आएगी, तब संसद का अधिवेशन शुरू हो जाएगा। इस समय राष्ट्रीय सभा को भंग नहीं करने का प्रावधान है। राष्ट्रपति से यह अपेक्षा की गयी है कि वह कम-से-कम समय में स्थिति में सुधार ला दे।

संकटकाल की घोषणा राष्ट्रपति अपने विवेक से करता है और इस समय शासन के संचालन का भार

राष्ट्रपति पर ही रहता है।

फ्रांसीसी राष्ट्रपति के कार्यों तथा शक्तियों को देखने के पश्चात हम कह सकते हैं कि फ्रांस की शासन-व्यवस्था में राष्ट्रपति पद ही सर्वाधिक शक्तिशाली पद है। स्वयं जनरल दि गाल ने कहा था — "जनता के द्वारा राज्य की संपूर्ण सत्ता स्वयं द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति को प्रदान की गयी है और अन्य सभी सत्ताएँ — मंत्रिमण्डल, लोक सेवाएँ, सैनिक और न्यायिक — अपनी शक्ति राष्ट्रपति से प्राप्त करते तथा उसी पर निर्भर हैं।"

Political Science
BA (Hons.) Part (I)
Paper (2) Comparative Govt. & Politics
Unit (10) The Executive

Sheo Vivek
Assistant Professor
(Political science,
Shershah College,
Sasaram (Bihar).